प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष- 2022 प्र0इ0रि0 सं. ....504/22.... दिनांक....23/12/2022....

2. (I) अधिनियमः-धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018
   (II) अधिनियम .... धारायें ....
   (III) अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .... (अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या ....581.... समय ....1:50 pm....
   (ब) अपराध घटने का दिन-बुधवार, दिनांक 28.12.2022 समय 11.00 एएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 20.12.2022 समय 03.00 पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :-मकान श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि., श्याम मन्दिर के पीछे, बूचाहैड़ा मोहल्ला, पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर।
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब उत्तर पूर्व दिशा करीब 105 किमी
   (ब) बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम- श्री राकेश कुमार सैनी
   (ब) पिता/पति का नाम- श्री जयमल सैनी,
   (स) जन्म तिथी- उम्र-47 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता- भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय -सब्जी की दुकान।
   (ल) पता- निवासी ढाणी अणतपुरा, नई कोठी वार्ड नं0 02, कोटपूतली, जिला जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -
श्री शंकर लाल पुत्र श्री भागीरथमल, उम्र 44 वर्ष, जाति सैनी, निवासी बाड़ीजोड़ी, तहसील व थाना शाहपुरा, जिला जयपुर हाल निवासी श्याम मन्दिर के पीछे, बूचाहैड़ा मोहल्ला, पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर हाल हैड कानि0 338 पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर ग्रामीण।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)..

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-7,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 20-12-2022 को परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री जयमल सैनी, उम्र 47 वर्ष, निवासी ढाणी अणतपुरा, नई कोठी वार्ड नं0 02, कोटपूतली, जिला जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 'सेवामे, श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो जयपुर ग्रामीण, जयपुर विषय-रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मेरे भाई श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र जयमल सैनी निवासी ढाणी अमरपुरा नई कोठी वार्ड 2 कोटपूतली जिला जयपुर ने मेरे व

मेरे परिवार के खिलाफ पुलिस थाना कोटपूतली जिला जयपुर मे मुकदमा दर्ज करवाया है जिसमे जांच अधिकारी शंकरलाल सैनी हैड कांसटेबल ने मुझे बुलाया जिस पर मैने बयान वगैरा करवा दिए उक्त मुकदमे मे जांच अधिकारी शंकरलाल सैनी ने मुझे कहा कि आपके परिवार वालो के सबके नाम हटा दुंगा और आप व आपकी पत्नी का चालान कर दुंगा इस एवज मे उक्त जांच अधिकारी 15,000/-(पन्द्रह हजार रू) की रिश्वत की मांग कर रहा है तथा यह भी धमकी दे रहा कि अगर नही दिए तो मै तुम सभी का चालान कर दुंगा। मै रिश्वत नही देना चाहता हुं और उसे रंगे हाथो रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हुं। अतः श्रीमान के समक्ष रिपोर्ट पेश है कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी एसडी/- राकेश कुमार सैनी S/o जयमल सैनी जाती माली उम्र 45 वर्ष नि0 ढाणी अमरपुरा नई कोठी कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) मो. 9950669126''। परिवादी ने पूछताछ पर बताया कि मेरा भाई अशोक कुमार सैनी आये दिन झगड़ा करता रहता है जिसको मैने काफी समझाईस की लेकिन वह नही माना एवं डाट फटकारने पर उसने मेरे व मेरे परिवार के खिलाफ पुलिस थाना कोटपूतली मे झुठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोटपूतली मे मुकदमा दर्ज हो चुका है। जांच अधिकारी श्री शंकरलाल सैनी हैड कानि0 मेरे पुत्र का नाम मुकदमे मे से हटाने तथा मुकदमे को हल्का करने की एवज मे 15,000/-रू रिश्वत के मांग रहा है। मै दो तीन बार शंकरलाल सैनी से मिल चुका है लेकिन मैने रिश्वत राशि नही दी है मैं मेरे खिलाफ झुठे मुकदमे के क्रम मे उसे रिश्वत नही देना चाहता हुं। उसको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से रिश्वत मांग का मामला पाया जाने पर दिनांक 27-12-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि0 द्वारा 7,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई।

दिनांक 28-12-2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी मय ब्यूरो स्टॉफ मय स्वतंत्र गवाह श्री सैयद नवेद अहमद एवं श्री राजवीर सिंह कनिष्ठ सहायकगण मय आवश्यक सरकारी ट्रेप बॉक्स, यूपीएस, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि के सरकारी वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कोटपूतली स्थित दीवान होटल के पास पहूंचे जहां पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी द्वारा दिए गए रिश्वत मे 7,000/- रूपये पर श्री विक्रम सिंह कानि0 92 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया गया जिसकी फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत व सुपुर्द डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गई एवं आरोपी श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि0 के मकान कोटपूतली के पास पहुंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री जयमल सैनी निवासी ढाणी अणतपुरा, नई कोठी वार्ड नं0 02, कोटपूतली, जिला जयपुर ने आरोपी के मकान के सामने से निर्धारित ईशारा मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी को किया। परिवादी का ईशारा पाते ही मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं आस पास खड़े ब्यूरो स्टॉफ को ईशारा कर साथ लेते हुए परिवादी की ओर रवाना हुआ तो परिवादी मोटर साईकिल पर आता हुआ दिखाई दिया जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस व ट्रेप पार्टी को देखकर मोटर साईकिल रोक दी। परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर श्री शंकर लाल जी के मकान पर पहूंचकर घंटी बजाई तो शंकर लाल जी मकान के अन्दर से गेट खोलकर आए और मुझे कहा कि अन्दर आ जाओ तब मैने कहा कि साहब कुर्सी बाहर ही धूप मे ले आओ। इसके बाद उन्होने कहा कि अन्दर ही आ जाओ और उन्होने मकान के अन्दर बनी गलेरी में कुर्सी लगा दी फिर उन्होने कहा कि चाय पी लो मेने कहा कि मै खाना खाकर आया हूं इसके बाद मैने पूर्व मे तय किए हुए रिश्वत के 7000/- रूपये मेरी शर्ट की जेब से निकालकर दिए तो उन्होने कहा कि कितने है तब मैने कहा कि सात है तब उन्होने कहा कि सात ही है और उन्होने अपने हाथ मे लेकर बिना गिने ही कोट की जेब मे रख लिए। इतने मे उसकी पत्नि चाय लेकर आ गई और मै चाय पीने लग गया। चाय पीकर जब मे आने लगा तो उन्होने मुझे कहा कि कोई लफड़ा तो नही है यह पैसे रखो फिर मैने कहा कि कोई लफड़ा नही है और यह भी कहा था कि एक जमानती ले आना आपको एक तारीख तक फ्री कर देगे। इसके बाद वह मकान के अन्दर चला गया और मैने बाहर आकर आपको निर्धारित ईशारा कर दिया। इस पर परिवादी को साथ लेते हुए आरोपी श्री शंकर लाल हैड कानि0 के मकान की तरफ गए तो मकान के गेट के बाहर एक व्यक्ति खाखी वर्दी के उपर जेकेट पहने हुए

खड़ा हुआ है जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही शंकर लाल जी हैड साहब है इनको अभी-अभी कुछ समय पहले इनकी मांग के अनुसार 7000/- रूपये रिश्वत के दिए है इस पर उक्त वर्दीधारी को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शंकर लाल पुत्र श्री भागीरथमल, उम्र 44 वर्ष, जाति सैनी, निवासी बाड़ीजोड़ी, तहसील व थाना शाहपुरा, जिला जयपुर हाल निवासी श्याम मन्दिर के पीछे, बूचाहैड़ा मोहल्ला, पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर हाल हैड कानि0 338 पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर ग्रामीण होना बताया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अभी-अभी परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी से ली गई रिश्वती राशि 7000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री शंकर लाल हैड कानि0 ने रिश्वती राशि लेने से मना किया इस पर उक्त हैड कानि0 को गेट के बाहर से साथ लेते हुए उसके मकान के अन्दर मय ट्रेप पाटी के प्रवेश हुआ व तसल्ली देकर पुनः पूछा तो रिश्वती राशि लेने से उक्त हैड कानि0 ने मना किया। इस पर परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी ने आरोपी श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि0 की बात का खण्डन करते हुए बताया कि यह झूठ बोल रहै है अभी-अभी कुछ समय पहले मैने श्री शंकर लाल जी के मकान पर आकर घंटी बजाई तो शंकर लाल जी मकान के अन्दर से आए और मुझे कहा कि अन्दर आ जाओ तब मैने कहा कि साहब कुर्सी बाहर ही धूप मे ले आओ। इसके बाद उन्होने कहा कि अन्दर ही आ जाओ और उन्होने मकान के अन्दर बनी गलेरी के अन्दर कुर्सी लगा दी फिर उन्होने कहा कि चाय पी लो मेने कहा कि मै खाना खाकर आया हूं इसके बाद मैने पूर्व मे तय किए हुए रिश्वत के 7000/- रूपये मेरी शर्ट की जेब से निकालकर दिए तो उन्होने कहा कि कितने है तब मैने कहा कि सात है तब उन्होने कहा कि सात ही है और उन्होने अपने हाथ मे लेकर बिना गिने ही कोट की जेब मे रख लिए। इतने मे उसकी पत्नि चाय लेकर आ गई और मै चाय पीने लग गया। चाय पीकर जब मे आने लगा तो उन्होने मुझे कहा कि कोई लफड़ा तो नही है यह पैसे रखो फिर मैने कहा कि कोई लफड़ा नही है और यह भी कहा था कि एक जमानती ले आना आपको एक तारीख तक फ्री कर देगे। इसके बाद वह मकान के अन्दर चला गया और मैने बाहर आकर आपको निर्धारित ईशारा कर दिया था। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बताई गई बातो के सबंध में पुनः श्री शंकर लाल हैड कानि0 से रिश्वती राशि लेने बाबत पूछा गया तो श्री शंकर लाल हैड कानि0 ने परिवादी से कोई भी राशि नही लेना बताया। इसके पश्चात् शंकर लाल हैड कानि0 के हाथ धुलवाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि0 के मकान मे बनी रसाई से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो कांच के गिलास निकलवाकर उन गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक कांच के गिलास के घोल मे श्री शंरक लाल सैनी के बांये हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसे समस्त हाजरनी ने मटमैला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि0 के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे के बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झाई देता हुआ हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी झाई रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

चूंकि परिवादी के बतायेनुसार आरोपी ने रिश्वती राशि 7000/- रूपये अपने हाथ मे लेकर बिना गिने ही अपनी जेकेट की जेब मे रखना बताया है इस पर स्वतंत्र गवाह नावेद सैयद अहमद से लिवाई गई तो कोट मे कोई रिश्वती राशि नही मिली है इस पर श्री शंकर

लाल सैनी हैड कानि0 के बदन पर पहने हुई वर्दी की भी तलाशी लिवाई गई परन्तु रिश्वती राशि नही मिली। इस पर परिवादी से पुनः पूछा गया तो परिवादी ने अपनी पूर्व में बताई हुई बातो को दोहराते हुए बताया कि जब मैने रिश्वती राशि इनको दी थी तब इन्होने अपने हाथ मे लेकर बिना गिने ही अपने बदन पर पहने हुए जेकेट की जेब मे रखना बताया हैं इस पर श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि0 के बदन पर पहने हुए जेकेट की दोनो जेब धुलवाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो गिलास निकलवाकर उनको पुनः साबुन पानी से धुलवाकर उनमे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर तैयार शुदा गिलास के घोल मे श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि0 के बदन से उतरवाए गए जेकेट की बांयी जेब मे उलटवाकर बारी-बारी से गिलास के घोल मे डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने मटमैला रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क जेएल-1, जेएल-2 अंकित किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् दुसरे तैयार शुदा कांच के गिलास के घोल मे श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि0 के जेकेट की दाहिनी जेब को उलटवाकर गिलास के घोल मे बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् आरोपी श्री शंकर लाल हैड कानि0 के बदन से उतरवाए गए जेकेट की दोनो जेबो को सुखवाकर एक सफेद कपड़े की थैली मे रख कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर सिल चिट मोहर कर मार्क-जे अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् आरोपी श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि0 को पुनः पूछा गया कि आपके दाहिने हाथ मे हल्का गुलाबी झांई देता हुआ व जेकेट की दाहिनी जेब का धोवन हल्का गुलाबी रंग हो गया हैं इस पर उक्त हैड कानि0 चुप रहा। इस पर श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि0 को तसल्ली देकर परिवादी से अभी कुछ समय पहले ली गई रिश्वती राशि 7,000/- रूपये बाबत पुनः पूछने पर घबराते हुए बताया कि साहब मै घबरा गया था आप लोगो को आता देखकर मैने रिश्वती राशि रसोई घर मे रखी आटे की स्टील की टंकी मे आटे के अन्दर दबा दिए हैं इस पर स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री शंकर लाल को साथ लेते हुए आरोपी के मकान मे बनी रसोई मे आरोपी की निशादेही पर आटे की स्टील की टंकी को स्वतंत्र गवाह श्री राजवीर सिंह से दिखवाया गया तो आटे की टंकी मे आटे के अन्दर दबे हुए एक पांच पांच सौ रूपये की छोटी गड्डी मिली हैं जिनको स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 14 नोट कुल 7000/- रूपये होना पाए गए। जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त 7,000/- रूपये को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् श्री शंकर लाल सेनी से परिवादी के विरूद्व पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर ग्रामीण पर दर्ज प्रकरण संख्या 878/2022 की पत्रावली बाबत पूछा गया तो श्री शंकर लाल ने परिवादी के विरूद्व दर्ज प्रकरण की पत्रावली पुलिस थाना कोटपूतली मे ही होना बताई। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने पुलिस थाना कोटपूतली के थानाधिकारी को जरिये मोबाईल वार्ता कर उक्त पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति भिजवाने हैंतु कहा गया। पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति प्राप्त होने पर पृथक से जरिये फर्द जप्ती जप्त की गई।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता सुना गया तो उसमे रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई हैं रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई।

अब तक की कार्यवाही से श्री शंकर लाल पुत्र श्री भागीरथमल, उम्र 44 वर्ष, जाति सैनी, निवासी बाड़ीजोड़ी, तहसील व थाना शाहपुरा, जिला जयपुर हाल निवासी श्याम मन्दिर के पीछे, बूचाहैड़ा मोहल्ला, पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर हाल हैड कानि0 338 पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर ग्रामीण ने परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री जयमल सैनी निवासी ढाणी अणतपुरा, नई कोठी वार्ड नं0 02, कोटपूतली, जिला जयपुर के विरूद्व पुलिस थाना कोटपूतली मे दर्ज प्रकरण संख्या 878/2022 में मुलजिमो के नाम हटाने एवं दर्ज मुकदमे में धारा कम करने की ऐवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 7,000/- रूपये रिश्वत राशि का लेन देन तय होने पर आज दिनांक 28-12-2022 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी से आरोपी श्री शंकर लाल सैनी हैड कानि0 338 पुलिस थाना कोटपूतली को 7,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना व रिश्वती राशि 7,000/- रूपये आरोपी के मकान मे बनी रसोई मे रखी आटे की स्टील की टंकी मे आटे के अन्दर से बरामद होने का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का पाया जाने पर आरोपी श्री शंकर लाल सैनी हाल हैड कानि0 338 पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर ग्रामीण को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपी श्री शंकर लाल पुत्र श्री भागीरथमल, उम्र 44 वर्ष, जाति सैनी, निवासी बाड़ीजोड़ी, तहसील व थाना शाहपुरा, जिला जयपुर हाल निवासी श्याम मन्दिर के पीछे, बूचाहैड़ा मोहल्ला, पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर हाल हैड कानि0 338 पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हैतु प्रेषित हैं

Suresh

(सुरेश कुमार स्वामी)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शंकर लाल हाल हैड कानि0 338, पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 504/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 4235-38 दिनांक 29.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

29.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।